अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

ल नं. ...2/148/2020...   तारीख रजू............................

हुकमचन्द   बनाम   रमेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 355, 136, 354, वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॅार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 23.10.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दांवा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 23.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
23.10.2020	मुखाब कोरोना P.O. ... अवकाश ... पेशी दिनांक 29.1.2021 को पेश हो। Sd/-	
29.1.21	....वकील प्रार्थी.... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक ....24.8.2020.... की पालना में पत्रावली वास्ते ....तलबी.... दिनांक ....9/4/21.... को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.4.22	वकील .... उपस्थित । साबिक आदेश दिनांक 15/2/22 की पालना में कार्यवाही बाबत .... दिनांक 28/4/22 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
28.4.22	वकील .... अनुपस्थित । साबिक आदेश दिनांक 15/3/22 की पालना में कार्यवाही बाबत .... दिनांक 9/5/22 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
5/5/22	मुताबिक रोकेन P.O. आइन्दा .... पत्रावली दिनांक 10/5/22 को पेश हो।	
10.5.22	पत्रावली पेश हुई वकील उप० दावा अन्तिम रूप किया जा चुका है प्रकरण पर कार्यवाही जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रकरण दावा डिक्री अन्तिम होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ शामिल रहे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	